ूर्ण रूप से रदद करने से
रना भारत और उसके
सघात होगा।

——— राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, अब तक मेरे इस आग्रह पर पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही इस विषय पर मेरी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से कोई बात हुई है।

——— शिवपाल सिंह यादव, प्रसपा, प्रमुख

बकारी राजस्व के
ं लेकिन नए कानून
योजना में व्यापक

सान संगठनों और
चीत का दौर जारी है
र्णय इस मसले पर

था कि इनमें से 20 प्रतिशत संक्रमित गंभीर मरीज होंगे। परंतु आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिसका परिणाम कोविड से जून में 2269 मौतें हुई और नवम्बर में 2669 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर ढह गई कि गंभीर मरीजों को आईसीयू/वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे हैं और दिल्ली में अभी तक 9300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

ले कई अधिकार

अधिकार भी मिलने चाहिए

एक्ट : देश के अन्य पुलिस कमिश्नरेट से इतर गौतमबुद्धनगर पुलिस राय एक्ट-1867 के तहत शक्तियां नहीं दी गई हैं। इसकी वजह से जिले में चल रहे होटलों, गेस्ट हाउस या लॉज पर कोई नियंत्रण नहीं है। होटलों में कोई होती है तो उनका लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार नहीं है। राजधानी के लते यहां होटलों या गेस्ट हाउस में आतंकवादियों के रुकने का खतरा हमेशा न एक्ट के तहत शक्तियां नहीं होने से पुलिस निगरानी नहीं कर सकती है।

एक्ट : पुलिस कमिश्नरेट को आर्म्स एक्ट के अधिकार भी मिलने चाहिए। लाइसेंस जारी करने, रिन्यू करने व निरस्त करने का अधिकार होता है। यहां अधिकारी जिलाधिकारी में निहित हैं। इस वजह से किसी व्यक्ति को किसी जाने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस को जिलाधिकारी को है।

री एक्ट : आबकारी एक्ट के तहत लाइससेंसिंग व प्रवर्तन के अधिकार भी । अवैध शराब को पकड़ने या लाइसेंस वाली शराब की दुकान पर अवैध शराब लिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर पाती है।

ारा-133 व 145 : सीआरपीसी की धारा-133 गैरकानूनी तरीके से खड़ी बाधा जिससे मानव जीवन का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है उसे तत्काल हटाने की है। जबकि धारा-145 किसी स्थाई सम्पत्ति पर दो लोगों या दो पक्षों के बीच थति से उत्पन्न शांति भंग होने की दशा में कार्रवाई की शक्ति प्रदान करती है।

आस्तियों की ई–नीलामी बिक्री हेतु सूचना मैसर्स ट्रेंड फ्लोरिंग प्रा. लि. (परिसमापन में)

(CIN: U17226DL2005PTC143849) (कम्पनी परिसमापन में)
(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत बिक्री)
कॉरपोरेट देनदार की आस्तियों को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है

समेकित लॉट	कॉर्पोरेट देनदार अर्थात मैसर्स ट्रेंड फ्लोरिंग प्रा. लि.– परिसमापन में की आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 25%) (रु. में)
	स्टॉक और ऑफिस आस्तियां (स्टॉक आइटम्स में नॉन–बुने हुए मैटेरियल कार्पेट, मिथ्या सीलिंग ब्लॉक्स, वार्नेक्स टेक्सचर कोटिंग्स आदि)	1,51,000/-	37,750/-

नोटः 1. लागू जीएसटी अतिरिक्त
2. उपरोक्त बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसे वेबसाइट "ncltauction.auctiontiger.net / www.arck.in" पर अपलोड किया गया है। कृपया विवरण हेतु इसे देखें
आवेदन करने की अंतिम तिथि ईएमडी सहित : 19 दिसम्बर, 2020 को अपराह्न 5 बजे तक,
ई–नीलामी की तिथि : 22 दिसम्बर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 02.00 बजे
विवरण हेतु वेबसाइट www.arck.in और https://ncltauction.auctiontiger.net देखे
सम्पर्क : श्री चंचल दुआ – 9958990842/9582147863, 011-45101111
पंजी. ई–मेल : chanchalduaco@gmail.com
पत्राचार ई–मेल : insolvency@arck.in

चंचल दुआ–
परिसमापक मैसर्स ट्रेंड फ्लोरिंग प्रा. लि.
रजि. नंबर : IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-18/10821
रजि. पताः 1–ए/85–ए, रमेश नगर, नई दिल्ली–110015
कॉर्यालय पताः 409, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

तिथिः 04.12.2020
स्थानः नई दिल्ली

kotak
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा(ईस्ट), मुंबई 400051

परिशिष्ट 4 (देखें नियम 8 (1)
कब्जा सूचना – (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लि., बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 के अभिप्राय के भीतर एक बैंकिंग कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 27 बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400051 तथा शाखा कार्यालय 7वां तल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी अधिनियम") के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 24 अगस्त, 2020 ऋण खाता सं. – 584044011412 के संबंध में जारी की थी, जिसमें कर्जदारों/पार्टियों **मैसर्स श्री इंडस्ट्रीज इसके स्वामी श्री श्रीकान्त अग्रवाल के माध्यम से, (कर्जदार), श्री सुशील कुमार (गारंटर एवं बंधकदाता), श्रीमती अनीता अग्रवाल (गारंटर), श्री श्रीकान्त अग्रवाल (गारंटर)** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रू. 32,05,288/– (रू. बत्तीस लाख पांच हजार दो सौ अठासी मात्र)** का भुगतान उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
उक्त कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों/गारंटर/रों/बंधकदाता और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग